यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला देहरादून के माह 05/2012 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.02.2018 से 12.02.2018 तक श्री अमित कुमार, सहायक महालेखाकार के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः **(I)** वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2012 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

   (ii) कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत डोईवाला विकासखंड आता है, चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध करवाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला के कार्यकलाप में आता है

   (iii) (अ) विगत 06 वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष (स्थापना)		अवशेष (गैर स्थापना)	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2012-13			279.46	279.46	12.82	12.82	0	0	0	0
2013-14			391.33	390.73	0.89	0.89	0	0.60	0	0
2014-15			410.38	410.38	13.06	13.06	0	0	0	0
2015-16			535.07	535.07	19.57	19.57	0	0	0	0
2016-17			579.09	579.09	9.30	9.30	0	0	0	0
2017-18 (01/2018 तक)			393.18	393.18	0	0	0	0	0	0

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

एन एच एम के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण निम्नवत है

वर्ष	प्रा अ	प्राप्ति	व्यय	वापसी	आधिक्य	बचत
2012-13	5.28	76.04	72.68	0.18		8.46
2013-14	8.46	119.27	116.66	0.11		10.96
2014-15	10.96	168.30	156.05	3.03		20.18
2015-16	20.18	190.95	184.02	6.10		21.01
2016-17	21.01	139.30	138.80	1.18		20.33
2017-18 (जनवरी 18 तक)	20.33	66.31	70.28	8.90		7.46

(iv) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना एवं जिला योजना द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

(v)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(अ)प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

(ब)महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

(स)मुख्य चिकित्सा अधिकारी

(द)अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी

(य)प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

(vi)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 05/2012 से 01/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोईवाला देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डोईवाला देहारादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2015, 06/2016 एवं 09/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर:1- समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सालय में अपनी सेवाएँ देने के बावजूद चिकित्सालय के स्टाफ का अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जाना

उत्तराखंड शासन द्वारा जुलाई 2017 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला को स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय द्वारा निशुल्क संचालित किए जाने के बारे में निर्णय लिया गया तथा दिनांक 29.07.2017 को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के मध्य इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

समझौते की शर्तों के अनुसार एसआरएचयू, सा. स्वा. के. डोईवाला में क्लीनिकल, पैरा चिकित्सा एवं सहायक स्टाफ को पदस्थ करेगा जो कि सा. स्वा. के. में पूर्णकालिक क्लीनिकल सेवाएँ प्रदान करेंगे , तथा चिकित्सा विभाग औषधियाँ, उपकरण, विद्युत, पानी इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा इसके अतिरिक्त केंद्र के वर्तमान मानदंडों के अनुसार केवल विनिर्दिष्ट स्टाफ जैसे अधीक्षक, एक चिकित्सा अधिकारी मेडिकों लीगल समन्वयन के लिए, स्टोर कीपर तथा लेखाकार की पदस्थापना केंद्र में जारी रहेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अगस्त 2017 से एसआरएचयू द्वारा चिकित्सालय की समस्त चिकित्सकीय सेवाओं का संचालन किया जा रहा है किन्तु लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2018) तक निम्नलिखित पैरा चिकित्सकीय स्टाफ तथा सहयोगी स्टाफ चिकित्सालय में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं इस सूची में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं चीफ़ फार्मसिस्ट को सम्मिलित नहीं किया गया है।

पदनाम	संख्या	नाम
फार्मसिस्ट	01	1. दिनेश चंद्र रमोला
उपचारिका	04	1. श्रीमति ऋतु सिंह 2. श्रीमति शाहजहाँ 3. नीलम भट्ट 4. श्रीमति शाहीन खातून
उपचारिका (एनएचएम)	03	1. ईश्वर दत्त जोशी(पु) 2. श्रीमति डिंपी 3. श्रीमति मीना भार्गव
नेत्र सहायक	02	1. दिनेश रावत 2. अजय प्रताप
डेंटल हाइजीन	01	1. जगदीश पुरोहित
एक्स रे टेकनीशियन	01	1. भारत सिंह कथेट
लैब टेकनीशियन	02	1. संदीप राणा 2. कुलदीप भण्डारी

सफाई कर्मी	02	1. श्री जोगेन्द्र 2. श्रीमति शकुंतला
चौकीदार	02	1. श्री शरीफ अहमद 2. श्रीमति शीला देवी

इस प्रकार स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों की पदस्थपना न किए जाने के कारण चिकित्सालय के कर्मचारियों व तकनीशियनों द्वारा ही चिकित्सालय को संचालित किया जा रहा है, इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि शासकीय स्टाफ का स्थानांतरण न होने के कारण स्वामी राम विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्टाफ की पदस्थपना नहीं की गई है, स्थानांतरण के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं महानिदेशक कार्यालय से अनुरोध किया गया है।

इस प्रकार समझौते में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय द्वारा पैरा चिकित्सकीय स्टाफ एवं सहयोगी स्टाफ की पदस्थपना न किए जाने के कारण वर्तमान तक शासकीय स्टाफ द्वारा अपनी सेवाएँ दी जा रही हैं जिनका उपयोग प्रदेश में अन्यत्र किया जा सकता था, विभाग द्वारा इस संबंध में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रकरण सज्ञान में लाया जाता है ।

भाग- दो (ब)

प्रस्तर:2- जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में ₹ 54.54 लाख का अनियमित व्यय

जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके. जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में ₹ 1400 एवं शहरी क्षेत्र में ₹ 1000 का भुगतान चेक़ के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (1) प्रसव के संभावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जेएसवाई कार्ड भरा जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके (2) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात कम से कम 48 घंटे स्वास्थ्य केंद्र में रुकना आवश्यक है (3) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए एवं (4) प्रसव से सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जाएगा ।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डोईवाला में जननी सुरक्षा योजना से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अधिकांश प्रकरणो में जे एस वाई कार्ड को भरा नहीं जा रहा है, इसके अतिरिक्त केंद्र में संधारित जेएसवाई रजिस्टर में माता को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करने की दिनांक अंकित नहीं की जा रही है साथ ही लाभार्थियों को चेक देते समय उनके हस्ताक्षर/अंगूठा चिन्ह के साथ दिनांक अंकित नहीं की गई है जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि प्रसव के बाद लाभार्थी 48 घंटे तक चिकित्सालय में रही है और लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि प्रसव के सात दिवस के अंदर मिल गई है, चिकित्सालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अधिकांश प्रकरणो में लाभार्थी प्रसव के 48 घंटे बाद तक नहीं रुकता है ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिददरवाला में विगत 06 वर्षों में निम्नानुसार जेएसवाई के अंतर्गत भुगतान किया गया है ।

वर्ष	कुल प्रसव	लाभार्थियों को किया गया भुगतान
2012-13	716	10,23,180
2013-14	815	11,38,100
2014-15	774	10,83,200
2015-16	553	7,73,800
2016-17	614	8,58,400
2017-18 (जनवरी 18 तक)	448	5,77,000
कुल	3920	54,53,680

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि अधिकांश प्रसव स्थानीय आबादी के होते हैं जो कि अधिक समय तक चिकित्सालय में नहीं रुकना चाहते हैं भविष्य में 48 घंटे से कम अवधि के डिस्चार्ज को जेएसवाई लाभार्थी नहीं माना जाएगा, उत्तर मान्य नहीं हैं चिकित्सालय द्वारा न तो जननी सुरक्षा योजना से संबन्धित अभिलेखों में अति आवश्यक प्रविष्टियाँ की जा रही हैं न ही लाभार्थी को नियमानुसार 48 घंटों तक चिकित्सालय में रोका जा रहा है, जननी सुरक्षा योजना पर किए गए ₹ 54.54 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर:3- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कंपनियों से ₹13.53 लाख की राशि वसूल न हो पाना ।

उत्तराखंड शासन द्वारा फरवरी 2015 में राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (MSBY)लागू करने का निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक APL तथ BPL परिवार (राजकीय कर्मचारी तथा पेंशन धारी परिवारों को छोड़कर) को नकद रहित चिकित्सा उपचार की सुविधा दी गई है, यह लाभ केवल अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने की दशा में देय था, योजना के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य को योजना का लाभ मिलना था, प्रत्येक परिवार का एक एमएसबीवाई कार्ड बनेगा जिसके लिए प्रत्येक परिवार को ₹ 30/ पंजीकरण शुल्क देय था, योजना के अंतर्गत एमएसबीवाई के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों को बीमा कंपनी के साथ द्विपक्षीय अनुबंध करना था मरीज के अस्पताल से जाने के समय चिकित्सालय वेब पोर्टल में समस्त दावों संबंधी दस्तावेज़ अपलोड करेंगे। बीमा कंपनी को समस्त संबन्धित दस्तावेजों को आनलाइन प्रस्तुत करने के 30 कार्यदिवस के अंदर समस्त बिलों का भुगतान करना था ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एमएसबीवाई से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि स्वास्थ्य केंद्र द्वारा निम्नानुसार बीमा कंपनियों से चिकित्सा पर हुए व्यय की राशि ₹13.53 लाख (6.62 +6.91) की वसूली नहीं की जा सकी है ।

प्रथम चरण (जुलाई 2016 तक)
बीमा कंपनी -यूनाइटेड इन्शुरेंस कंपनी
कुल प्रकरण-514
दावा की गई राशि - 11,97,175
भुगतान प्राप्त -5,35,300/
अप्राप्त राशि -6,61875

द्वितीय चरण (अगस्त 2016 से जनवरी 2018 तक)
कुल प्रकरण -216
दावा की गई राशि-6,90,750/
भुगतान प्राप्त-0
अप्राप्त राशि- 6,90,750/

इस प्रकार एमएसबीवाई के दो चरणों में बीमा कंपनियों से ₹13.53 लाख की राशि वसूल नहीं की जा सकी है इस संबंध में अवगत करवाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि कंपनी द्वारा क्लेम का भुगतान नहीं किया गया है, भुगतान हेतु कंपनी को पत्र जारी किए गए हैं तथा इस संबंध में प्रयास जारी हैं

इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं बीमा कंपनी को दस्तावेज़ अपलोड करने के 30 दिन के अंदर भुगतान करना था, प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

शून्य

1. सतत् अनियमितताएः

शून्य

2. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

नाम	पदनाम	अवधि
डॉ श्रीमति चंद्रा पंत	प्र चि अ	21.04.05 से 06.08.2012
डॉ ए एस सेंगर	प्र चि अ	07.08.12 से 09.09.14
डॉ आर एस पाल	प्र चि अ	10.09.14 से 13.11.14
डॉ एस के गोस्वामी	प्र चि अ	13.11.14 से 12.10.15
डॉ एस के पांडे	प्र चि अ	12.10.15 से 11.11.16
डॉ आर एस पाल	प्र चि अ	11.11.16 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र डोईवाला देहारादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.